

प्रेषक,

श्रीम प्रकाश गुप्त,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिखा १7१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 1 अप्रैल, 2005

विषय:-

डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल तित्वा एयरपोर्ट रोड बाबतपुर, वाराणसी को
सी०बी०ए०ए० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०ए०ए० नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- ३। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाजामिनेशन
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेगें ।

- §58 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- §61 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- §70 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगमित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- §80 विद्यालय सिकार्ड निर्धारित पत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- §90 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या सिधिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्थापित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पूर्वोक्त एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ.प्र.सं., लखनऊ ।
 - 5- प्रबंधक, **डी.ए.ए.जी.के.एस. स्कूल शिक्षा संस्थान, एम.ए.ए. रोड, वाराणसी ।**
 - 6- गाई बुक ।

आज्ञा से,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।